FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्ड़ावर (दौसा)

जगदीश बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा –भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 136 नंबर ..22... सन्–22 / 23(विविध)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील में
14.06.2023	पत्रावली कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत भैदाडी मीनान में प्रस्तुत हुई। शाखा प्रबंधक, पी0एन0बी0 बैक, शाखा बैजूपाड़ा को नोटिस जारी किये जो बाद तामील पत्रावली में शामिल है। शाखा प्रबंधक, पी0एन0बी0 बैक, शाखा बैजूपाड़ा अथवा उनका कोई पैरोकार उपस्थित नही है। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहसील बसवा हाल बैजूपाडा के राजस्व ग्राम कंचनपुरा के खाता संख्या नया 54,125,125 एवं **ग्राम सुमेल की जमाबंदीसंवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 83, 122, 30, 174, 175, 52, 9, 32, 33, 50, 51** में प्रार्थी द्वारा किसान केडिट कार्ड 6(1) यूकों बैक शाखा बडियाल कलॉ से लिया गया। प्रार्थी की ग्राम कंचनपुरा के खाता संख्या 54,125, 126 की भूमि तो राजस्व कर्मचारियो / अधिकारियों द्वारा से राजस्व रिकॉर्ड में यूकों बैक शाखा बडियाल कलॉ के नाम रहन दर्ज कर दी गई। परन्तु इसी के साथ दर्ज रहन भूमि **ग्राम सुमेल की जमाबंदीसंवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 83, 122, 30, 174, 175, 52, 9, 32, 33, 50, 51** की सहवन से बैकं यूकों बैक शाखा बडियाल कलॉ की बजाय पी0एन0बी0 शाखा बैजूपाडा के नाम रहन दर्ज कर दी। जो राजस्व कर्मचरियों / अधिकारियों की गलती आज तक अनवरत चली आ रही है। प्रार्थी अथवा उसके पूर्वजो के द्वारा भी पी. एन.बी. बैंक शाखा बैजूपाडा से किसान केडिट कार्ड नही लिया है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र बाबत् पटवारी हल्का बैजूपाडा, भू0अ0नि0 बैजूपाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की संयुक्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार **प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 6(1) यूकों बैंक बडियाल कलां द्वारा जारी कर रखा है तथा ग्राम सुमेल के नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 7.05. 2010 से पी.एन.बी. शाखा बैजूपाडा के रहन दर्ज कर दिया** पटवारी हल्का बैजूपाडा, भू0अ0नि0 बैजूपाडा तहसीलदार बैजूपाडा, ग्राम पंचायत बैजूपाडा की एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। **6(1) यूकों बैंक बडियाल कलां द्वारा जारी कर रखा है तथा ग्राम सुमेल के नामान्तरण संख्या 262 दिनांक 7.05.2010 से पी.एन.बी. शाखा बैजूपाडा के रहन दर्ज कर दिया** जिसको राजस्व अधिकारीयो ने दर्ज कर दिया जो कि गलत है। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त लिपीकीय त्रुटि धारा 166 भू–राजस्व नियम 1957 के अन्तर्गत आती है जिसका उपयोग तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा नही किया जाकर सीधे ही भू – राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि तहसीदार द्वारा प्रार्थी को अपने कार्यालय स्तर से ही अनुतोष देना चाहिए था। अतः तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बैजूपाडा को निर्देशित किा जाता है कि धारा अन्तर्गत 166 भू–राजस्व नियम 1957 प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में नियमानुसार कार्यवाही कर प्रार्थी को अनुतोष प्रदान करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह आदेश प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत भैदाडीमीनान में दिनांक 14.06.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) (भावना शर्मा, RAS) उपखण्ड अधिकारी मण्डावर(दौसा)	